

भाग-ब

**पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)**

मैंने श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) का वार्ड स्थित क्षेत्र/योजना
. का निरीक्षण दिनांक को किया तथा उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं स्थल
जाँच के उपरान्त सही पाई गई हैं। इस संदर्भ में मेरी जाँच आख्या निम्नवत् है :-

विकास के सभी कार्य बुलन्दशहर/खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत
मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

अथवा

विकसित योजना, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/लागू उपविधियों के
अनुरूप है।

अथवा

विकसित योजना में स्वीकृत विन्यास मानचित्र से विचलन है जो क्रमांक-9 पर अंकित कर
दिया गया है तथा शमन योग्य विचलन का शमन कराया जा चुका है।
उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि . . .

दिनांक

भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र
(प्रार्थना पत्र के भाग-‘अ’, ‘ब’ एवं ‘स’ की फोटोकापी पर जारी किया जाए)

..... वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या पर विकसित योजना के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री (पदनाम) दिनांक को विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक